दिनांक 23.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त थानो में ''मिशन शक्ति केन्द्र'' की स्थापना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वलम्बन को सर्वोच्च प्राथमिकत्ता देते हुए **मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी** के द्वारा दिनांक 20.09.2025 को मिशन शक्ति 5.0 का शुभारम्भ किया गया। इस अभियान का उद्‌देश्य महिलाओं और बालिकाओं को भय मुक्त वातावरण, गरिमामयी जीवन और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ाना है। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने, उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने एवं उन्हे सरकारी योजनाओं से जोड़ना और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा** द्वारा महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता, प्राथमिकता एवं उनके साथ होने वाली किसी भी घटना के उपरान्त समुचित काउन्सलिंग, सहयोग एवं संरक्षण के साथ ही उपरोक्त कार्यों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक थाने के परिसर के अन्दर उनकी समस्याओं व शिकायतों पर त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण, पीड़ित महिलाओं की समुचित सहायता एवं उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रभावी पर्यवेक्षण व जवाबदेही के लिए सभी सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन का एक नेतृत्व में एकीकरण किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक थाने में **मिशन शक्ति केन्द्र** की स्थापना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिये गये है।

1. संरचनात्मक ढ़ांचा/मानव संसाधन–

- मिशन शक्ति केन्द्र थाने में पुलिस चौकियों की भांति महिला शिकायतकर्ताओं/पीड़िताओं के लिए कार्य सम्पादित करेगी तथा इस केन्द्र में नियुक्त निरीक्षक/उपनिरीक्षक महिला अपराधों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभियोगों की विवेचना भी करेंगे। प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र में उपलब्धतानुसार निम्नलिखित पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी–

1–महिला/पुरूष अतिरिक्त निरीक्षक/उ०नि० (प्रभारी)	– 01 (प्राथमिता महिला प्रभारी को)
2–महिला/पुरूष उ०नि०	– 01–04 (कम से कम एक महिला अधिकारी, यदि प्रभारी पुरूष हो)
3–महिला/पुरूष मुख्य आरक्षी/आरक्षी	– 04–15 (सामान्यतः 50% महिलाओं को रखा जाये)
4–महिला होमगार्ड	– 01 से 02

5–संवेदनशील प्रकरणों में मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किये जाने हेतु परामर्शदाताओं को नामित कराया जाये तथा आवश्कतानुसार उनकी सहायता प्राप्त की जाये।

- मिशन शक्ति केन्द्र में कर्मियों को कम से कम 03 से 05 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। इन प्रशिक्षित कर्मियों का एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे

थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में स्थानान्तरण नोडल अधिकारी के प्रस्ताव पर जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा स्थापना बोर्ड के माध्यम से कराया जायेगा।

- नोडल अधिकारी भविष्य के लिए नये कर्मियों को लगातार प्रशिक्षित करायेंगे जिससे आवश्यकता पड़ने पर नये प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध रहें।

2. संसाधन–

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाने में ही मिशन शक्ति केन्द्र के लिए एक कक्ष, कम्प्यूटर, आवश्यक अभिलेख, मूलभूत स्टेशनरी, महिलाओं के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेंगे।

3. मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- महिला हेल्प डेस्क का ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं निकट पर्यवेक्षण करना तथा प्रत्येक आवेदन पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up) करना।
- एण्टी रोमियो स्क्वाड्स एवं थाना क्षेत्र में महिला बीट योजना के नियमित एवं पूर्ण क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण करना।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से सम्बन्धित समस्त एफ0आई0आर0 एवं अभियुक्त के विरूद्ध की गयी समस्त निवारक कार्यवाहियों का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना और समयबद्ध निस्तारण के लिए विवेचनाओं का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- पीड़िताओं को सहायता सेवाओं जैसे–काउन्सलिंग, कानूनी सहायता, पुनर्वास, कम्पेन्सेशन, आदि हेतु वन स्टाप सेण्टर, डी0एल0एस0ए0, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति (CWC), फेमिली कोर्ट आदि से समन्वय स्थापित करना।
- महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे पीड़िता की चिकित्सा जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।
- प्रारंभिक काउंसलिंग के बाद उपयुक्त प्रकरणों को परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।
- पलायन सम्बन्धी (Elopement Related) प्रकरणों (धारा 363/366 भा0द0वि0 अथवा 137/87 बीएनएस) तथा महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगाने के प्रकरणों में अनिवार्य काउन्सलिंग कराना।
- महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र में नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

4. अधिकारियों के उत्तरदायित्व–

(i) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के उत्तरदायित्व–

- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज मिशन शक्ति केन्द्र की पूर्ण कार्ययोजना को "In Letter & Spirit" (शब्दों के अक्षरशः आशय को समझना व पालन करना) के साथ घरातल पर क्रियान्वित करने हेतु Change Agent की भूमिका निभाएंगे तथा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी से लगातार संवाद/पर्यवेक्षण कर इस व्यवस्था को बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- जोन/परिक्षेत्र के थानों में स्थापित होने वाले **मिशन शक्ति केन्द्र** की संख्या के अनुसार आवश्यक महिला कर्मियों की संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी जनपद में गहिला कर्मियों की संख्या अधिक है तो अधिक संख्या वाले जनपदों से कम संख्या वाले जनपदों में आवश्यकतानुसार महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेंगे।
- अधीनस्थ जनपद के भ्रमण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण एवं जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठक कर समीक्षा करेंगे तथा समस्त SOPs के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

(ii) प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र, इस सेल की कार्यकारी मुखिया होगी और उसके समग्र संचालन, प्रबन्धन और मासिक कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एवं समग्र कार्यप्रणाली, दक्षता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।

- अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों (उपनिरीक्षक, हेड कान्सटेबल, कान्सटेबल) की निगरानी, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना तथा एस0ओ0पी0, कानूनों और दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन कराना।

- महिला सम्बन्धी प्राप्त सभी शिकायतों का दैनिक पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि वे तुरुन्त दर्ज हों और उन पर समयबद्ध कार्यवाही हो। संवेदनशील और जटिल मामलों में सीधा हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करना। अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up) की प्रक्रिया की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पीड़ित को उचित सहायता मिले।

- वन स्टॉप सेण्टर (OSC), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), परिवार परामर्श केन्द्र (PPK), जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO), जिला समाज कल्याण अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत कार्य सम्बन्ध और प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

- शिकायतों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाहियों, रेफरल और परिणामों से सम्वन्धित डेटा का नियमित विश्लेषण करना। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करना। नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी को समय पर और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।

- थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवादों के निस्तारण, महिला सुरक्षा और महिला साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनके सफल आयोजन को सुनिश्चित करना।

- थाने के किसी भी प्रकरण के महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे. पीड़िता की चिकित्सीय जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।

- प्रारंभिक काउंसलिंग के बाद उपयुक्त प्रकरणों को परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।

- यह सुनिश्चित करना कि कर्मियों को महिला सुरक्षा, महिला साइबर सुरक्षा, कानूनी प्रावधानों और परामर्श तकनीकों पर नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण मिले। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार क्षमता निर्माण के उपाय सुझाना।

(iii) उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के सहायक के रूप में कार्यों का सम्पादन एवं विशिष्ट कार्यों के निष्पादन तथा पर्यवेक्षण में सहायता।

- प्रभारी द्वारा सौंपे गये प्रकरणों की प्रारम्भिक जांच एवं मूल्यांकन करना। इसमें शिकायतकर्ता और अन्य सम्बन्धित पक्षों से बातचीत करना, प्रारम्भिक जानकारी और साक्ष्य एकत्र करते हुये यह निर्धारित करना कि क्या मामले में एफ0आई0आर0 की आवश्यकता है या इसे परामर्श अथवा मध्यस्थता के लिए सन्दर्भित किया जाना समीचीन होगा।

- प्रथम स्तर की काउन्सलिंग प्रदान करना और यह निर्धारित करना कि क्या मामला परिवार परामर्श केन्द्र (PPK) को सन्दर्भित करने के लिए उपयुक्त है। इलोपेमेन्ट प्रकरणों और झूठे आरोपों से सम्बन्धित मामले में काउन्सलिंग कर सत्यता का पता लगाने में सहायता करना।

- महिला हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों एवं एण्टी रोमियो स्क्वाड की दैनिक गतिविधियों को लीड करना एवं सक्रिय पर्यवेक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ पालन कर रहे हैं।
- एण्टी रोमियो स्वयाड में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में क्षेत्र के किसी भी विद्यालय के आस–पास शोहदों का जमावड़ा न हो व किसी भी स्थान पर महिलाओं/बच्चियों के साथ छेड़खानी न हो।

(iv) महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी (महिला हेल्प डेस्क) के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पीड़ित महिलाओं को कानूनी/आर्थिक/समाजिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना और पुलिस तथा महिलाओं के बीच विश्वास बढ़ाना।
- महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का एकल सम्पर्क बिन्दु होने के दृष्टिगत पीड़ित महिलाओं का महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से उनके नियमित मामलों की स्थिति के बारे में अपडेट प्रदान करना।
- महिला पीडितों को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन तथा सामुदायिक सम्पर्क बैठकों में सुविधा प्रदान कराना।
- मिशन शक्ति केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये अनिवार्य अभिलेखों का नियमित अद्यतनीकरण (Updation) एवं रख–रखाव करना।

5. पर्यवेक्षण अधिकारियों के उत्तरदायित्व–

(i) नोडल अधिकारी (जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/कमिश्नरेट पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त) के उत्तरदायित्व–

a. जनपदीय पुलिस अधीक्षक या कमिश्नरेट पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर मिशन शक्ति केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

b. नोडल अधिकारी द्वारा एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु कमिश्नरेट/जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रस्ताव भेजा जायेगा, जिस पर सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपदीय स्थापना बोर्ड की गोष्ठी में विचार करेंगे।

c. उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/ आरक्षी का Transfer/Induction /Deinduction बिना नोडल अधिकारी के प्रस्ताव के नहीं होगा।

- समस्त मिशन शक्ति केन्द्रों की मासिक कार्ययोजनाओं और रणनीतियों को अन्तिम रूप देना एवं यह सुनिश्चित करना कि महिला सुरक्षा सम्बन्धी सभी कार्य पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।
- जनपद के समस्त मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक एवं समग्र प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOs और अन्य हित धारकों के साथ जिला स्तरीय समन्यय स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति) निर्वाध रूप से मिल सके।
- समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- अधीनस्थ कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना, जिससे भविष्य में नवीन कर्मी उपलब्ध रहें।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेन्स क्लासेज आयोजित कराना जिसमें महिला शक्ति केन्द्र के कर्मी भी सम्मिलित हो सकते हैं।
- प्रकरण को आवश्यकतानुसार चिन्हित कर पीड़िता की काउन्सलिंग प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- वन स्टॉप सेण्टर की क्षमता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार इन्हैन्समेन्ट की कार्यवाही प्रारम्भकरना।

(ii) सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के उत्तरदायित्व-

- मिशन शक्ति केन्द्र सम्बन्धित थाने का एक भाग है जो महिला चौकी की भांति कार्यो को सम्पादित करेगा। मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभारी, थाने के प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगी।
- सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र के औपचारिक रूप से प्रारम्भ किये जाने/लांच किये जाने के 02 सप्ताह के अन्दर अपने थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित करना।

- अपने थाने के मिशन शक्ति केन्द्र का नियमित निरीक्षण, केन्द्र में कार्यरत कर्मियों की नियमित ब्रीफिंग एवं संसाधनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि महिला शक्ति केन्द्र प्रभारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किया जाए।

(iii) सम्बन्धित सहायक पुलिस उपायुक्त/क्षेत्राधिकारी के उत्तरदायित्व–

- क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल में मिशन शक्ति केन्द्र के लिए सहायक नोडल अधिकारी होंगे। इनकी भूमिका नीति के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण तथा अपने क्षेत्राधिकार में महिला सुरक्षा पहलों के समग्र समन्वय की होगी।

- अपने सर्किल के सभी मिशन शक्ति केन्द्र और महिला हेल्प डेस्क के समग्र प्रदर्शन की निगरानी, मूल्यांकन एवं मासिक/पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना। अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के रुझानों (TRENDS) और पैटर्नों का विश्लेषण करना तथा निवारक उपायों का सुझाव देना तथा नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित कराना।

- महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढाँचा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- अपने अधीनस्थ समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- अपने सर्किल के प्रत्येक थाने की मिशन शक्ति केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कर विवरण निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करना।

- थाने जाने पर मिशन शक्ति केन्द्र के सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन करना, उनकी समुचित ब्रीफिंग करना, फीडबैक लेना, मिशन शक्ति केन्द्र की कार्यक्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश देना।

(iv) कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के उत्तरदायित्व–

- मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु पर्यवेक्षक (Supervisor) के रूप में कार्य करेंगे।
- अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को मिशन शक्ति केन्द्र के कमिश्नरेट/जनपदीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन करना।
- कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित रणनीति का निर्धारण और उसके क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश देना।
- प्रत्येक माह की अपराध गोष्ठी में मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी के कार्यों एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा करना।

- मिशन शक्ति केन्द्र के सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेना और सुधारात्मक निर्देश देना।
- मिशन शक्ति केन्द्र में पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- मिशन शक्ति केन्द्र में लापरवाही या संवेदनहीनता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना और समयबद्ध, न्यायसंगत समाधान की जिम्मेदारी तय करना।
- पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक 02 सप्ताह के अन्दर अपने कमिश्नरेट/जनपद के सभी थानों में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से कियाशील कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
- विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे–समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा) न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOS और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्वय स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, चिकित्सा) निर्वाध रूप से मिल सके।

(v) जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के उत्तरदायित्व–

- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने जोन के अधीनस्थ जनपदों के मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु सर्वोच्च पर्यवेक्षक (Overall Supervisor) के रूप में कार्य करेंगे।

6. प्रशिक्षण–

i. मिशन शक्ति केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर भारत सरकार के IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह के अन्दर जनपदों के सभी मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त सम्पूर्ण पुलिस बल IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

ii. जनपदीय नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकमों की योजना तैयार कर उनके प्रभावी कियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

7. अन्य–

- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला शक्ति केन्द्र की व्यवस्था को सम्पूर्ण प्रदेश में कियान्वित करायेंगें तथा उसकी कार्यवाही की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।
- महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कराने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश व पैम्फलेट/होर्डिंग के प्रारूप तैयार कर जनपदों को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने–अपने कमिश्नरेट/जनपदों के प्रत्येक थाना परिसर के अन्दर प्रस्तावित मिशन शक्ति केन्द्र को तत्काल स्थापित कराकर तद्नुसार उन्हे संचालित/क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 23.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ प्रद्युमन महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

दिनांकः 22–09–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ प्रद्युमन को महाराष्ट्र (मुम्बई) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अभिषेक उर्फ प्रद्युमन यादव पुत्र स्व0 राकेष यादव निवासी ग्राम जरियारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

रवाले चौराहा के पास धनसोली नवी मुम्बई महाराष्ट्र दिनांक 22–09–2025 समय करीब 01:00 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अरविन्द सिंह, मु0आ0 देवेष द्विवेदी, मु0आ0 अशोक राजपूत, आरक्षी सत्यम यादव व आरक्षी चालक सुरेश सिंह की एक टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना

मिली कि थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2025 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अभिषेक उर्फ प्रद्युमन यादव नवी मुम्बई में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा मुम्बई पहुॅचकर रवाले चौराहे के पास घनसोली नवी मुम्बई महाराष्ट्र से वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ प्रद्युमन यादव ने पूछताछ में बताया कि गॉव के अम्बरीस यादव पुत्र राजकरन यादव व आलोक सिंह, शक्ति सिंह आदि के बीच जमीन सम्बन्धी विवाद काफी दिनो से चला आ रहा था। जिसको लेकर पूर्व में भी कई घटनाये हो चुकी है। दिनांक 24–07–2025 को दोपहर में अभिषेक उर्फ प्रद्युमन उपरोक्त अनूप सिंह व शक्ति सिंह आदि जमीन पर कब्जा लेने गये थे, तभी अम्बरीस यादव की तरफ से उनके घर की महिलाये और काफी लोग आ गये और ईट पत्थर चलने लगे, जिस पर अभिषेक उर्फ प्रद्युमन आदि लोगो द्वारा गोलीबारी की गयी थी, जिसमें ललिता देवी, व गीता घायल हो गयी थीं। इस घटना के सम्बन्ध में थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना के बाद से अभियुक्त मुम्बई भाग गया था और तभी से फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः–</u>

1– मु0अ0सं0 219/2020 धारा 188/270 भादवि व आपदा प्रबन्धन व महामारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

2– मु0अ0सं0 243/2020 धारा 147/149/308/325/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

3– मु0अ0सं0 249/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/ 351(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

4– मु0अ0सं0 252/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस 25/27/3 अर्म्स एक्ट 1959 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य 10 अवैध पिस्टल व 15 अदद मैगजीन के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 23–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को 10 अवैध पिस्टल व 15 अदद मैगजीन के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– प्रशान्त राय उर्फ जीतू पुत्र प्रमोद राय निवासी चन्दनी कुण्डेसर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर।

2– राहुल ठाकुर पुत्र अरविन्द ठाकुर निवासी गंगौली थाना सेमरी जनपद बक्सर (बिहार)

3– मुकुन्द प्रधान पुत्र शैलेन्द्र प्रधान निवासी हुत्सेपुर कोठियां थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः–

1– 10 अदद पिस्टल (32बोर)

2– 15 अदद मैगजीन।

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– 1700/–रू0 नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

फरीदपुर रिंग रोड अण्डरपास के नीचे थाना सारनाथ जनपद वाराणसी। दिनांक 23–09–2025

अवैध असलहो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में निरीक्षक श्री पुनीत परिहार, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 23–09–2025 को ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहो की तस्करी करने वाला प्रशान्त राय उर्फ जीतू भारी मात्रा में अवैध असलहा लेकर वाराणसी के स्थानीय तस्करों से मिलने आने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा फरीदपुर रिंग रोड अण्डरपास के नीचे थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से 03 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशांत राय मनबढ किस्म का अपराधी है, जिसकी शोहरतआम एक दबंग अपराधी के रूप में है। प्रशान्त राय अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट किया करता था। इसी दौरान इसका सम्पर्क इसके गांव के पास के ही मलीकपुरा निवासी असलहा तस्कर सुभाष पासी से सम्पर्क हो गया। प्रशांत राय ने 32 बोर की पिस्टल सुभाष पासी से खरीदा था। प्रशान्त राय के दोस्त अखण्ड राय निवासी कस्बा व थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर ने अपने 02 अन्य साथियों को कारतूस दिलाने के लिए इससे सम्पर्क किया, जिस पर इसके द्वारा असलहा तस्कर सुभाष पासी से 20 कारतूस दिलवाया गया था। अखण्ड राय के साथ दोनों लडकों के माध्यम से ही प्रशान्त राय की जान पहचान खण्डवा (म0प्र0) के कुख्यात असलहा तस्कर विष्णु सरदार से हो गयी। प्रशान्त राय द्वारा विष्णु सरदार से 20–25 रूपये प्रति असलहा खरीदकर गाजीपुर एवं आस–पास के जनपदों एवं बिहार राज्य के सीमावर्ती जनपदों में 40–50 हजार रूपये में बेचा जाता है। प्रषान्त राय अपने साथी राहुल ठाकुर एवं मुकुन्द प्रधान के माध्यम से असलहा मंगाता है जिनको प्रति चक्कर 4–5 हजार रूपये देता है। इसके द्वारा अब तक कई बार असलहा मंगाकर स्थानीय तस्करों को असलहा सप्लाई किया जा चुका है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सारनाथ जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 452/2025 धारा 111(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22/23.09.2025 को थाना रॉबर्टसगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चुर्क रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–वीर सिंह 2–आजाद घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया एवं तीन अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीर सिंह निवासी बलार खेड़ी थाना आनगढ़ जनपद सागर मध्य प्रदेश।

2–आजाद निवासी विलायत कला थाना बड़वारा जनपद कटनी मध्य प्रदेश।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की पीली धातु के आभूषण**
- **लूट/चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनवाखेड़ा अण्डरपास के पास से पुलिस कार्यवाही में

पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट/चोरी की पीली धातु के आभूषण, लूट/चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली, अयोध्या, फतेहगढ़, हरदोई, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, सहारनपुर, हापुड़, कन्नौज, सीतापुर, बाराबंकी एवं कमिश्नरेट आगरा, लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 41 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी खुशहालपुर ब्रैड फैक्ट्री के पीछे थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, हालपता भातू कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लूट/चोरी की पीली धातु के आभूषण।

2–लूट/चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 34–34 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304पार्ट(2)/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामकुमार 2–भइलू उर्फ सतीश को आजीवन कारावास व 34–34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डीए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आशीष 2–सुनील को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भीम को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना चन्दपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना चन्दपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवि को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————